— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 6 से 8 क्रमाश रामकुंवार, सीताराम, व जीमनादेवी के हक बंट में मौजा नोखा–जोधा का खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 3.3184 हैक्टेयर में से रकबा 1.2141 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरी नक्शा अनुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 10 भुगानाराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा का खसरा नम्बर 165 रकबा 3.3184 हैक्टेयर में से रकबा 1.2141 हैक्टेयर वादी संख्या 6 से 8 के दक्षिण में नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 10 क्रमाशः ओमप्रकाश, घेवरीदेवी, चुकादेवी, चांददेवी, बाबूलाल, श्रीराम, सुमनदेवी, कालूराम, सुरजाराम व धर्माराम के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोखा–जोधा के खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 3.3184 हैक्टेयर में से रकबा 0.8903 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 285 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.8579 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. वादी संख्या 4 किशनीदेवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोखा जोधा के खेत खसरा नम्बर 285 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.8903 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. वादी चेलाराम प्रेमाराम व रोकश एवं सम्पुड़ी एवं गीतादेवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
6. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
7. राजीनाम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.08.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner